हत्या व लूट के आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 5.3.09 को शहर में बढती हुई वारदातों के कारण नांकों पर सख्ती से चेंकिंग प्रारंभ कराई गई कि एक मो0सा0 पर तीन संदिग्ध व्यक्तियों को मय कट्टा व चाकू के पकडा जाकर पूछताछ की गई तथा अस्पताल से प्राप्त सीडी से मिलान करने पर इन तीनों बदमाशों की फोटो तस्दीक हुई। नाम पता पूछते इकबाल पिता वजीर मंसूरी उम्र 30 साल निवासी मक्सी जिला शाजापुर, 2–फय्यु उर्फ मनीष पिता शिवनारायण शर्मा निवासी आगर नांका 3–सोनू उर्फ गुलरेज पिता शेरखान 28 साल निवासी आगर नांका बताया। इन लोगों ने दिनांक 27.2.09 को सेंटपाल स्कुल की टीचर ज्वलंत शर्मा को चाकू दिखाकर 5000/–रू0 नगदी लूटना एवं दिनांक 24.2.09 को पाटपाला शराब की दुकान से 5500/–रू0 एवं मोहनपुरा पेट्रोल पम्प से 25000/–रू0 दो मोबाईल, चिंतामण जवासिया रोड पेट्रोल पम्प पर 5000/–रू0 लूटना स्वीकार किया तथा अशोक पिता रामलाल एवं संदीप पिता वेदनाथ शर्मा निवासी आगर नांका भी घटना में इनके साथ होना बताया। इसमें मुख्य आरोपी इकबाल ने यह भी स्वीकार किया कि उसने चेन्नई में वकिल मदन गोपाल की हत्या मक्सी से चेन्नई जाकर की थी और इस सिलसिले में सेलम जेल से ले जाते समय पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ है। आरोपीगणों से लूटा गया मश्रुका 30000/–रू0 नगदी 4 मोबाईल, 2 कट्टा जप्त किये गये तथा उनके पास की मो0सा0 मण्डीदीप थाने से चुराई होना पाई गई।